


5.10.21

पत्रावली पेश हुई। वकत अदालत
बार-बार आवाज लगावाइ गई।
अपीलान्ट वकील या स्वयं
अपीलान्ट उपास्थित नहीं हुए। वकील
रेस्पॉण्डेंट अनुपास्थित। वकील
अपीलान्ट के उपास्थित नहीं होने
पर अपील अदम हाजरी अदम

पैरवी में रवारिज की जाती है।
पत्रावली दर्ज नम्बर से कम
होकर बाद तकमील दाखिला
दफ्तर है।


अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर